आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या-सी0आर0एम0-13/12-13

मु0 लिलावती देवी

बनाम

बिहार सरकार

09-10-2014

आदेश

यह अपील वाद जनवितरण प्रणाली विक्रेता (अपीलकर्ता) मु0 लिलावती देवी पति-स्व0 विजय कुमार साह बनकट पुरैना थाना-चनपटिया द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर के आदेश ज्ञापांक 762/आ0, दिनांक 07.08.2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। इस आदेश से अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या-07/2008 को तत्कालीक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत राज बनकट पुरैना प्रखंड चनपटिया के वार्ड नं0-01 के उपभोक्ता सुदामा दास एवं अन्य द्वारा जनता दरबार में आवेदन पत्र दिया गया कि उन्हें विगत चार माह से खाद्यान्न की आपूर्ति जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा नही की गयी है। इस आरोप के संबंध में अरूण कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेतिया से जांच करायी गयी है।

जांचोपरांत उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जांच की तिथि 26.05.2012को बिना किसी पूर्व सूचना के विक्रेता की दुकान बंद पायी गयी। दुकान बंद रहने के कारण विक्रेता की दुकान में रखे भंडार का भौतिक सत्यापन नही हो सका। जांच के समय उपस्थित उपभोक्ता संतोष प्रसाद एवं अन्य के द्वारा बयान दिया गया कि उन्हें विक्रेता द्वारा माह-दिसम्बर-11 एवं जनवरी-12 से बी0पी0एल0 खाद्यान्न की आपूर्ति नही की गयी है।

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	इन आरोपो के संबंध में जनवितरण प्रणाली विक्रेता से तीन दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्पष्टीकरण के साथ अक्टुबर-11 से अद्यतन माह तक बी0पी0एल0/अन्त्येदय खाद्यान्न का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की मांग मूल रूप में की गयी। विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि जांच के दिन अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण वे दुकान बंद करके इलाज कराने वे चनपटिया चली गयी थी। साथ ही उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि उन्हें 252 बी0पी0एल0 एवं 71 अन्त्योदय लाभूको को वितरण हेतु खाद्यान्न का आवंटन मिलता है। उनका घर वार्ड नं0-06 में है तथा वार्ड नं0-07 एवं 08 दोनों एक दूसरे के नजदीक होने के कारण पोषक क्षेत्र में पड़ता है। पूर्व से इन वार्डो का खाद्यान्न वे वितरित करती आ रही है जिसमें 22 अन्त्योदय लाभार्थी का खाद्यान्न उनके भंडार में अवशेष रह जाता था जिसे मुखिया के द्वारा स्वयं अपने निगरानी में वार्ड नं0-01 के 22 अन्त्योदय लाभूको को वितरण कराया गया है। शेष वार्ड न0-01 शेष लाभूको के खाद्यान्न मो0 औरंगजेब जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा होना है। स्पष्टीकरण के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चनपटिया से जांच करायी गयी। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बनकट पुरैना के वार्ड नं0-01, 06 एवं 08 के लाभूको को उनके (मु0 लिलावती) के दुकान के साथ सम्बद्ध किया गया है। उनके द्वारा विक्रेता के पुत्र अनिल कुमार को कहा गया कि वे वार्ड नं0-01, 06 एवं 08 के लाभूको के बीच वितरण किया जाए लेकिन विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से वार्ड नं0-07 के लाभूको के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया है के कारण वार्ड नं0-01 के लाभूको को खाद्यान्न से वंचित रहना पड़ा। स्थानीय मुखिया द्वारा भी विक्रेता के द्वारा मनमानी किये जाने की बात कही गयी है। इन आरोपो के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 से अनुज्ञप्ति के शर्तो के उल्धंन करने के आरोप में जनवितरण प्रणाली विक्रेता (मु0 लिलावती देवी) के अनुज्ञप्ति संख्या-07/08 से अनुमंडल पदाधिकारी,	

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	बेतिया सदर द्वारा तत्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।	

अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों ने जिला जनता दरबार में उनके विरूद्ध आवेदन पत्र दिया है कि वे सभी वार्ड नं0-01 बनकट पंचायत के उपभोक्ता है। पंचायत राज बनकट के वार्ड नं0-06, 07 एवं 08 के बी0पी0एल0 के 252 एवं अन्त्योदय के 71 लाभूको को खाद्यान्न का वितरण जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किया गया है। वार्ड नं0-01 के केवल 22 उपभोक्ताओं को अपीलकर्ता के दुकान से खाद्यान्न की आपूर्ति करने के सबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चनपटिया द्वारा कोई दिशा निर्देश नही दिया गया है। साथ ही जांच के दिन अपीलकर्ता इलाज कराने चनपटिया चली गयी थी। साक्ष्य स्वरूप चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

जनवितरण प्रणाली विक्रेता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर को उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विचार नही किया गया हैं इस संबधं में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बनकट पंचायत के वार्ड नं0-01 के लाभूको को खाद्यान्न के वितरण का आदेश या सवर्द्धन सूची प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चनपटिया द्वारा विक्रेता को नही दिया गया है। स्थानीय मुखिया द्वारा भी कोई सूचना विक्रेता को नही दी गयी है। जांच के क्रम में उनके समक्ष बयान दिया गया है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता से उन्हें कोई आपति नही है। अपीलकर्ता श्री सुदामा दास पिता-स्व0 नथुनी दास एवं सभी ग्रामीण जनता पुरैना चौबे टोला पंचायत राज बनकट वार्ड नं0-01 के द्वारा बयान दिया गया है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा कोई कालाबाजारी नही की गयी है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चनपटिया के आदेश के अभाव में उनके हिस्से का खाद्यान्न वार्ड नं0-07 के लाभूको के बीच वितरण कर दिया गया हैं। अपीलकर्ता मु0 लिलावती देवी के द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता दुकान को पुर्नर्जिवित करने हेतु अनुरोध भी किया गया है।

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चनपटिया के द्वारा पारदर्शी ढंग से उनकी दुकान के साथ उपभोक्ताओं की सम्बद्धता नही होने के कारण जन वितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा कतिपय उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नही हो सका है। साथ ही जांच प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी-सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश में यह अंकित नही है कि जनवितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा खाद्यान्न को उपभोक्ताओं के बीच वितरित नही कर उसे खुले बाजार में बेचकर कालाबाजारी किया गया है, बल्कि सिर्फ यह तथ्य सत्यापित किया गया है कि एक वार्ड के उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण नही कर दूसरे वार्ड के उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को रदद् करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, बेतिया सदर के आदेश दिनांक 07.08.2012 को रदद् किया जाता है तथा अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति संख्या-07/2008 को पुनर्जीवित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
०१।०८।१५

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
०१।०८।१५